रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2641] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 11, 2018/आषाढ़ 20, 1940
No. 2641] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 11, 2018/ASHADHA 20, 1940

IndiaCode

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2018

का.आ. 3396(अ).— केंद्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 14 के साथ पठित धारा 29 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन किस्मों (वर्तमान किस्मों और कृषक किस्मों से भिन्न) के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित प्रजातियों को विनिर्दिष्ट करती है और इस प्रयोजन के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (पप), तारीख 12 मई, 2017 में प्रकाशित भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1536 (अ), तारीख 12 मई, 2017, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम संख्यांक 137 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

¼1½	¼2½	¼3½	¼4½
"138.	सैलिक्स टेट्रास्पर्मा, एस. नाइग्रा, एस, जेसोएनसिस, सैलिक्स एक्स रूबिन्स, एस. मेटसुडाना, एस. एलबा, एस, एटमोफैला	विलो	विलो
139.	एवेना सटाइवा एल.	ओट	जई
140.	फॉइनिक्स डेक्टीलाइफेरा एल.	डेट पाल्म	खजूर''

[फा. सं. 2—9/2008—एस.डी.V]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

fVIi.k मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1536(अ), तारीख 12 मई, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात उन्हें का.आ. 3406(अ), तारीख 24 अक्तूबर, 2017 और का.आ. 133(अ), तारीख 10 जनवरी, 2018 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2018

S.O. 3396(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 29 read with section 14 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Central Government hereby specifies the following species for the purposes of registration of varieties (other than extant varieties and farmers' varieties) under the said Act, and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare), number S.O. 1536 (E), dated the 12th May, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 12th May, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table, after serial number 137 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
"138.	*Salix tetrasperma*, S.*nigra*, S. *jessoensis*, *Salix* X *rubens*, S. *matsudana*, S. *alba*, S. *acmophylla*.	Willow	Willow
139.	*Avena sativa* L.	Oat	Jaee
140.	*Phoenix dactylifera* L.	Date Palm	Khajoor."

[F. No. 2-9/2008-SD.V]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

IndiaCode

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 1536(E), dated the 12th May, 2017 and subsequently amended *vide* S.O. 3406(E), dated 24th October, 2017 and S.O. 133(E), dated the 10th January, 2018.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.07.14 14:19:21 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.